न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर

राज. सरकार बनाम श्री राकेश कुमार व अन्य

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 RTA मु0न0 101/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06-09-2022	पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की पूर्व में ही एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। अतः पेरोकार सरकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है तथा कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ताफैसला वाद तक ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का नरबदखेड़ा की विवादित आराजी ख.न. 517, 1103/515, 1105/516 की मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (राहुल जैन) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर

न्यायालय श्रीमान सहायक ... राजस्थान ...